भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या1001

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

1984 के सिक्ख विरोधी दंगों की फिर से जांच

1001. डॉ0 के.पी. रामालिंगमः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 फरवरी, 2015 को विशेषकर दिल्ली और अन्य राज्यों में 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों की फिर से जांच हेतु एक तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एस आई टी) का गठन करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने दंगों संबंधी मामलों की फिर से जांच हेतु उक्त विशेष जांच दल के गठन की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): दिनांक 12 फरवरी, 2015 को सरकार ने वर्ष 1984 के दंगों की जांच/पुन: जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल है:

1. **श्री प्रमोद अस्थाना, आईपीएस (एमटी:86)-अध्यक्ष**
2. **श्री राकेश कपूर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सदस्य**
3. **श्री कुमार गणेश, अपर पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा/पीएम)-सदस्य**

विशेष जांच दल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

(क): ऐसे गंभीर आपराधिक मामलों की समुचित रूप से पुन: जांच करना जो वर्ष 1984 के दंगों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दर्ज किए गए थे और अब बंद कर दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए, एसआईटी संबंधित पुलिस स्टेशनों से ताजा रिकार्डों और न्यायमूर्ति जे.डी. जैन और श्री डी. के. अग्रवाल की फाइलों की भी जांच करेगा और आपराधिक मामलों की पूरी जांच के लिए विधि के तहत ऐसे सभी उपाय करेगा।

(ख): उन आरोपियों के विरुद्ध उचित न्यायालय में आरोप-पत्र दायर करना जहां जांच के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं।

(ग) और (घ): जी हां। सरकार ने वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी.पी. माथुर की अध्यक्षता में दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को एक दो सदस्यीय समिति नियुक्त की। इस समिति ने दिनांक 22.01.2015 को "वर्ष 1984 के दंगों के मामलों की जांच करने के लिए एसआईटी के गठन की आवश्यकता " पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें समिति ने सिफारिश की है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए।

****